भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1584**

जिसका उत्तर मंगलवार, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है।

इफको उपविधियों का उल्लंघन

1584. श्री पी.के. कुनहलिकुट्टीः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) द्वारा सरकारी इक्विटी को वापिस लौटाना इफको उपविधियों और एमएससीएस अधिनियम, 2002 का उल्लंघन है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन करके इफको की इक्विटी को वापस प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान इफको और इसके प्रबंधन के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को प्राप्त हुई भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और पक्षपातों की शिकायतों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी स्थिति क्या है तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रत्येक शिकायत पर शिकायत-वार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क): जी, हां। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफ्को) द्वारा सरकारी इक्विटी वापस लौटाना इफ्को उप-नियमों तथा एमएससीएस अधिनियम, 2002 के उल्लंघन का मामला था, क्योंकि इन्हें इफ्को के संशोधित उप-नियमों के अनुसार किया गया था जिन्हें इफ्को के उस समय के उप-नियमों की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए गैर-कानूनी तथा गैर-विधिक तरीके से संशोधित किया गया था।

(ख): उर्वरक विभाग ने इफ्को द्वारा उप-नियमों के गैर-कानूनी संशोधन तथा तत्कालीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा 26.12.2002 को इसके पंजीयन के विरुद्ध बहु राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 की धारा 99 के तहत 04.08.2017 को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दर्ज की थी। तत्कालीन अपीलीय प्राधिकारी तथा अपर सचिव ने दिनांक 28.06.2018 के अपने आदेश के तहत उर्वरक विभाग द्वारा दर्ज अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एमएससीएस अधिनियम, 2002 तथा एमएससीएस नियमावली, 2002 के प्रावधानों के तहत अपील अस्वीकार्य तथा असंधार्य पाई गई।

इसके पश्चात विभाग ने तत्कालीन अपीलीय प्राधिकारी तथा अपर सचिव के दिनांक 28.06.2018 के आदेश के विरुद्ध 06.08.2018 को पुनर्विचार याचिका दायर की। कई सुनवाइयों के पश्चात तत्कालीन अपीलीय प्राधिकारी तथा अपर सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) ने भारत सरकार के पक्ष में 29.09.2018 को आदेश जारी किया। इस आदेश से असंतुष्ट, इफ्को ने 04.10.2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं.10637/2018 दर्ज की। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने दिनांक 05.10.2018 के आदेश के तहत अपीलीय प्राधिकारी तथा अपर सचिव, डीएसीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा जारी दिनांक 29.09.2018 का आदेश स्थगित किया। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 26.08.2019 है।

(ग) और (घ): जी, हां। विभाग को गत कुछ वर्षों के दौरान इफ्को तथा इसके प्रबंधन के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1) दिनांक 1.04.2013 की एक शिकायत श्री निशिकांत दुबे, सांसद (लोक सभा) से प्राप्त हुई। शिकायत को इस विभाग के दिनांक 14.06.2016 के पत्र के जरिये जांच तथा इस विभाग को इस मामले में रिपोर्ट भेजने हेतु सीबीआई को भेज दिया गया है।

2) दिनांक 6.05.2016 की एक शिकायत श्री सुधीश कुमार त्रिपाठी से प्राप्त हुई। शिकायत को इस विभाग के दिनांक 5.09.2016 के पत्र के जरिये जांच तथा इस विभाग को इस मामले में रिपोर्ट भेजने हेतु सीबीआई को भेज दिया गया है।

3) दिनांक 15.09.2017 की एक शिकायत ग्लोबल वेलनेस फाउंडेशन से प्राप्त हुई। शिकायत को इस विभाग के दिनांक 21.11.2017 के पत्र के जरिये जांच तथा इस विभाग को इस मामले में रिपोर्ट भेजने हेतु सीबीआई को भेज दिया गया है।

4) दिनांक 'शून्य' की एक शिकायत श्री कुल भूषण राय चूचड़ा से दिनांक 16.06.2017 के कार्यालय ज्ञापन के जरिये सीवीसी से प्राप्त हुई। शिकायत को इस विभाग के दिनांक 01.05.2018 के पत्र के जरिये जांच तथा इस विभाग को इस मामले में रिपोर्ट भेजने हेतु सीबीआई को भेज दिया गया है।

5) दिनांक 27.04.2017 की एक शिकायत श्री सी. बी. कटिहा से प्राप्त हुई। शिकायत को इस विभाग के दिनांक 14.09.2017 के पत्र के जरिये जांच तथा इस विभाग को इस मामले में रिपोर्ट भेजने हेतु सीबीआई को भेज दिया गया है।

उपर्युक्त सभी मामलों में, सीबीआई से अनुरोध किया गया है कि इन मामलों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी जाए।

उपर्युक्त शिकायतों का सार इस प्रकार है:-

उपर्युक्त शिकायतों में मुख्यत: इफ्को द्वारा धन के दुरुपयोग और फर्जी तुलन-पत्र के साथ-साथ निधियों का कथित भारी कुप्रबंधन, इफ्को द्वारा स्थापित लेखांकन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके गलत प्रकटीकरण तथा पणधारकों, विशेषत: बैंकों को धोखा देने, इफ्को बोर्ड द्वारा बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम से छेड़छाड़ तथा सोसायटी की उप-विधियों से छेड़छाड़ और सरकारी साम्या (इक्विटी) का गैर-कानूनी प्रत्यावर्तन, यू.एस. अवस्थी, प्रबंध निदेशक और उनके पुत्रों, उनके संबंधियों और इफको से जुडे उनके मित्रों द्वारा लगातार अपनाई गई धनशोधन (मनी लॉड्रिंग) प्रक्रिया, गेस्ट हाऊस और पॉश बंगले को हथियाने के लिए यू.एस. अवस्थी द्वारा अपनाए गए गैर-कानूनी और विधि-विरुद्ध तरीके; यू.एस. अवस्थी द्वारा किसान इंटरनेशनल टेड्रिंग खोलकर राजसहायता धोखाधड़ी; कच्चे मालों और तैयार उर्वरक के आयातों में भारी गैर-कानूनी कमीशन लेकर सोसाइटी को भारी नुकसान पहुंचाने, अपनी अधिवर्षिता अवधि को गैर-कानूनी तरीके से 65 वर्ष से आगे बढ़ाने, प्रबंध निदेशक श्री यू. एस. अवस्थी और अन्य कार्यवाहक निदेशकों की परिलब्धियों को बढ़ाने, बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम का उल्लंघन करके गोपनीय तरीके से दान देकर राजनैतिक दलों से पक्ष-समर्थन प्राप्त करने, इफको बोर्ड द्वारा सहकारी कानून से विपथन करने अर्थात् इफको बोर्ड में महिला निदेशक अथवा अनुसूचित जाति का निदेशक नियुक्त न करने और निदेशक मंडल में 30 निदेशकों को नियुक्त करने, बिक्री से छेड़छाड़ करके और अधिक राजसहायता का दावा करके सरकार के साथ धोखाधड़ी करने, प्रबंध निदेशक, इफको द्वारा इफको में उपयुक्त पदों पर अपने खास व्यक्ति रिश्तेदारों को लगा देने और इफको के संसाधनों और सुविधाओं का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए गए हैं।

****